BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 मार्च, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी का सामान छिपाने के आरोपी को 01 वर्ष, 09 माह, 28 दिन का कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आसिफ उर्फ छोटू पुत्र जाहिद निवासी अंसारी वाली मस्जिद थाना रोरावर जनपद अलीगढ के पास से वर्ष-2023 में चोरी का सामान जैसे बैंटरी, इनवर्टर, गैस सिलेंडर आदि बरामद हुआ था जिसके संबंध में दिनांक 22.02.2023 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 142/2023 धारा- 414 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.06.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 29.3.2025 को न्यायाधीश श्री सुनील कुमार त्रिपाठी (मा0 न्यायालय सीजेएम- जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आसिफ उर्फ छोटू को 01 वर्ष, 09 माह, 28 दिन का कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नगेन्द्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।